

वउनवान इशाराके वनाम दीदी
 धारा 2/2 Pt 199 मुकदमा नं. 1/100/21 ऑनलाईन नं.

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	<p>काउन्ट प्रलेम शपथ पत्र पेश किया, शा. बन्ना. धा, जिसल बहस बहस हेतु पत्रा. प्रिक उग/र/र में पेश की।</p> <p>30/5/25 - फावली पेश हो. कमील पक्षकारान ओ हो कमील उग्रपक्षकारान की बहस बुनी गयी. फावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व बहस के तथ्यों पर अवलोकन किया गया। अवलोकन के पर्यंत तथ्य एक प्रकार है कि जाहीगन व अजाहीगन के संयुक्त आवेदकों पक्षीन पर कब्जे को लेकर विवाद की स्थिति उभर खती हो अगर मौके की प्रथास्थिति नहीं रखी जाती हो तो विवाद और अधिक बढ़ने की संभावना हो अतः मौके की प्रथास्थिति रखने में ही दोनों पक्षों के लिए सुविधा का संतुलन उतीत होता है रलले किली की पक्ष को अग्रणीय हति होने से रोका जा सकता हो अतः उग्रपक्षकारान को विभाजन के बाद के विभाजन तक अस्थायी निषेध पत्रा है पावड किया जाता है कि मौके की</p>

बनाम

मुकदमा नं.

ऑनलाईन

क्रम

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

प्रवास्ति बनाम (क्र) पत्रावली
श्री सारफर कानन शुभा शेर
नंबर से क्रम श्री लोक शूलकर
के साथ संलग्न रहे।

निर्णय दिनांक 30/5/25 को श्री
इमलान सुभाषा जपा।

पत्रावली पेश हुई। वकील **उपखण्ड अधिकारी**
प्रतिवादी उपस्थित/अनु. पीठासीन **इटावा**
अधिकारी राज्य कार्य से मीटिंग,
शिविर मुख्यालय से बाहर है।
पत्रावली पूर्वगत दि. 30/5/25 को पेश हो।